न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

राजेन्द्र वगैरह बनाम भूमिधारी

ख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज दावा 54/19	नम्बर व तारी अहकाम जो इ हुक्म की तामी में जारी हुए
04.01.2021	पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रकरण में बहस वकील वादी एक पक्षीय सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अवगत कराया कि प्रकरण में प्रतिवादीगण नं. 1 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है एंव साक्ष्य वादी में वादी व गवाह प्रहलाद के शपथ पत्र पेश हो जाने एंव तहसीलदार श्रीमाधोपुर से जॉच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से प्रकरण का आंज ही निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। वकील वादी के निवेदन पर पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् एंव राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त प्रकरण बाबत दुरूस्ती रिकार्ड से सम्बन्धित है। जिसमें ग्राम ढ़ाबावाली तहसील श्रीमाधोपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 71, 73, 75, 77 से 80 कुल किता 7 कुल रकबा 5.46 हैक्टर के हिस्सा 1/4 की खातेदारी रामकिशोर पुत्र हरबक्स के नाम दर्ज है। उक्त भूमियॉ वादीगण की पैतृक मौरूसी कृषि भूमियॉ है जिसकी खातेदारी वरवक्त प्रथम सैटलमेन्ट मुरली व भगवाना, रामेश्वर, रामकिशोर पिता हरबक्सा कौम ब्राह्मण के नाम दर्ज हो गई। हरबक्सा के चार पुत्र क्रमशः झूंथाराम, मुरली भगवाना, रामेश्वर हुए परन्तु राजस्व रिकार्ड में गलती से रामकिशोर को हरबक्सा का पुत्र दर्ज कर दिया गया। जबकि रामकिशोर के पिता का नाम हरबक्सा नहीं होकर झुंथाराम है। हरबक्सा से पहले झुंथाराम का देहान्त हो जाने से राजस्व कर्मचारियों द्वारा हरबक्सा के पुत्र का नाम दर्ज करते समय झुंथाराम पुत्र के स्थान पर रामकिशोर को पुत्र के रूप में दर्ज कर दिया गया जो गलत है। वादीगण को गलत वल्दियत का पूर्व में जानकारी नहीं हो सकी थी। मार्च 2019 में किसान केडिट कार्ड बनवाने हेतु पटवारी से	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.09.22 11:27:15 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	सम्पर्क करने पर वादीगण को इस त्रुटि बाबत जानकारी हुई। त्रुटि सुधार हेतु पटवारी व तहसीलदार से निवेदन करने पर न्यायालय में वाद दायर कर दुरूस्ती कराने हेतु कहे जाने पर उक्त वाद प्रस्तुत करना आवश्यक होने पर वाद पेश किया गया है। वादी का नाम गलत दर्ज हो जाने से राज्य सरकार से मिलने वाले लाभों से वंचित हो गये। वकील वादी ने वादग्रस्त भूमि में वादी का नाम रामकिशोर पुत्र हरबक्स के स्थान पर रामकिशोंर पुत्र झूंथा घोषित कर दुरूस्त करवाने का निवेदन अपनी बहस में किया है।
	हमने वकील वादी की बहस को ध्यानपूर्वक सुना व पत्रावली पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2017–2020, 2021–2024, 2074 से 2077–दो, खतौनी बन्दोबस्त, भू प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी मिलान क्षेत्रफल, तहसीलदार श्रीमाधोपुर के पत्रांक 3037/भू.अ./2019 दिनांक 26.08.2019 से प्राप्त तथ्यात्मक जॉंच रिपोर्ट, सरपंच ग्राम पंचायत सिहोड़ी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, वादी महेन्द्र कुमार का स्वंय का शपथ पत्र व वादी गवाह में प्रहलाद पुत्र रामेश्वर का शपथ पत्र, मतदाता पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड, बैंक पासबुक इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण के पिता के समस्त दस्तावेजात् में पिता का नाम रामकिशोर पुत्र झुंथालाल दर्ज रिकार्ड है एंव मृत्यु प्रमाण पत्र में रामकिशोर पुत्र [illegible] दर्ज रिकार्ड है जबकि राजस्व रिकार्ड [illegible] पुत्र हरबक्स गलत दर्ज रिकार्ड होना एवं वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत सजरा खानदान के अनुसार वादीगण के पिता का नाम रामकिशोर पुत्र झूंथाराम पुत्र हरबक्सा होना स्पष्ट प्रकट होता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने भी अपनी मौका जॉंच रिपोर्ट

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.09.22 11:27:15 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

राजेन्द्र बनाम न्यूकिन्धाटी

ख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

दावा मु.नं- 50/2019

पत्रांक 3037 / भू.अ. / 2019 दिनांक 26.08.19 से भी रामकिशोर के पिता का नाम हरबक्स के स्थान पर झूंथाराम दुरूस्त किये जाने की अभिशंषा की गई। वादी द्वारा साक्ष्य में पेश शपथ पत्र व वादी साक्ष्य गवाह में पेश शपथ पत्रों से भी वादपत्र में अंकित कथनों की पुष्टि होती है। जिसके आधार पर वादीगण के पिता का नाम रामकिशोर पुत्र हरबक्स के स्थान पर रामकिशोर पुत्र झूंथा घोषित किया जाकर प्राकृतिक न्याय की भावना से दुरूस्त किया जाना उचित प्रतित होता है।

आदेश

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि ग्राम ढ़ाबावाली तहसील श्रीमाधोपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 71, 73, 75, 77 से 80 कुल किता 7 कुल रकबा 5.46 हैक्टर के 1/4 हिस्सा की खातेदारी में दर्ज रामकिशोर पुत्र हरबक्स के स्थान पर रामकिशोर पुत्र झूंथा दुरूस्त कर उक्त भूमि की खातेदारी वादीगण के नाम बहिस्सा बराबर–बराबर दर्ज किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की जावे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.09.22 11:27:15 IST
Reason: SelfAttested

(बृजेश कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 04.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजेश कुमार)
सहायक कलेक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)